

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 17-18 /2022

दिनांक : 19.05.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1039/2022 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा श्री विजय प्रताप गोस्वामी (RJ0949), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) को दिनांक 19.03.2022 से 25.03.2022 तक 07 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.03.2022 से 18.03.2022 एवं 26.03.2022 से 27.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 19.03.2022 से 20.03.2022 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
19.05.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/116/2015/3940

दिनांक : 19.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 3357 दिनांक 10.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विजय प्रताप गोस्वामी (RJ0949), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर (चूरु)।

19.5.2022
सहायक रजिस्ट्रार